A4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 39/2021
**GCMS Case No. 2021/127**

सायल :– बनाम गैरसायलः–

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

मुकेश पुत्र श्री सुगनलाल, जाति हरीजन, निवासी 372 सर्वोदय नगर, पाली पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र पाली जिला पाली

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 9-11-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 02.07.2021 को गैरसायल मुकेश पुत्र श्री सुगनलाल, जाति हरीजन, निवासी 372 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औ.क्षैत्र पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औ.क्षैत्र पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2010 से 2018 तक कुल 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 2 प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.स. | मु0न0 | धारा | फैसला दिनांक | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79/10 | 13 आरपीजीओ | 05/05/2010 | 50/–रूपये जुर्माना |
| 2 | 118/17 | 13 आरपीजीओ | 04-07-2017 | 100/–रूपये जुर्माना |
| 3 | 28/18 | 13 आरपीजीओ | - | जैर ट्रायल |

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मुकेश पुत्र श्री सुगनलाल, जाति हरीजन, निवासी 372 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र पाली जिला पाली जुऐं के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

A4/2

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औधोगिक क्षैत्र पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के जुऐं के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्बर 2, पाली के मुकदमा नम्बर 35/2010 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2010 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, पाली के प्रकरण संख्या 452/17 में निर्णय दिनांक 04.07.2017 आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया, उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मुकेश पुत्र श्री सुगनलाल, जाति हरीजन, निवासी 372 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 24-11-2022 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मुकेश इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र, पाली, गैरसायल मुकेश को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

A 4/3

व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी लूणी उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औधोगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र पाली एवं थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 9-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * पाली (राजस्थान) *